क्षेत्रीय वन अनुसंधान केन्द्र (आर०एफ० आर०सी०) जबलपुर द्वारा निर्माण कार्य के लिए लगाई एजेंसियों के नाम

1094. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय वन अनुसंधान केन्द्र (आर० एफ०आर०सी०) जबलपुर द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त किस-किस अन्य एजेंसी से निर्माण कार्य कराये गए ;

(ख) इन निर्माण कार्यों की लागत कितनी है और इनका तकनीकी निरीक्षण किसके द्वारा किया गया है ;

(ग) इन निर्माण कार्यों की निविदा किसके द्वारा आमंत्रित एवं स्वीकृत की गई ; और

(घ) क्या यह सच है कि फाइबर ग्लास की छत व अन्य कार्यों हेतु कम दर की निविदा देने वाले ठेकेदार के मुकाबले अधिक दर देने वाले ठेकेदार को तरजीह दी गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित कार्य-विधि और नियमों का पालन करने के उपरांत उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान में (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सिविल निर्माण एकक के बिना) निम्नलिखित इमारतों/ढ ों का निर्माण किया गय था । प्रत्येक कार्य के सामने कार्य की प्रत्येक मद की लागत के साथ-साथ तकनीकी पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण भी दिये गए हैं :—

क्र सं.	इमारत/संरचना	लागत	तकनीकी निरीक्षण
1.	नलदार साइकिल स्टैण्ड . .	71,775/-	संपदा अनुभाग , उ०क० व०अ० संस्थान
2.	नलदार झोंपड़ी सं० 1 48,800/-रु. की दर से . .	48,800/-	संपदा अनुभाग, उ०क०व अ० संस्थान
3.	नलदार झोंपड़ी सं० 1 45,760/- की दर से . .	45,760/-	संपदा अनुभाग उ०क०व० अ० संस्थान
4.	नलदार झोंपड़ियां 6 प्रत्येक 1,08,600/-रू० की दर से .	6,51,600/-	संपदा अनुभाग उ०क०व० अ० संस्थान
5.	नलदार स्कूटर स्टैण्ड . .	53,720/-	संपदा अनुभाग, उ०क०व० अ० संस्थान
6.	नलदार प्लाण्ट शैड . .	32,232/-	उ०क०व०अ० संस्थान के वनस्पति प्रभाग के वैज्ञानिक
7.	मिस्ट चैम्बर सं० 1 .	3,21,424/-	जीन और पादप संवर्धन प्रभाग, उ०क०व०अ० संस्था
8.	मिस्ट चैम्बर सं० 2 . .	16,76,400/-	एक मिस्ट चैम्बर उ०क०व० अ० संस्थान के सिल्वीकल्चर प्रभाग के वैज्ञानिकों और दूसरा जीन और पादप संवर्धन प्रभाग के वैज्ञानिकों द्वारा ।
	कुल : .	29,01,711/-	

(ग) इन इमारतों/स्थापनाओं के लिये निदेशक, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। क्र०सं० 1 से 3 और क्र०सं० 5 से 7 तक की मदों की संस्वीकृति निदेशक, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा दी गई और क्र०सं० 4 और क्र०सं० 8 के कार्यों के लिए संस्वीकृति महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् देहरादून द्वारा दी गई थी।

(घ) जी, नहीं।

उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर की चारदीवारी का निर्माण

1095. **श्री सिब्ते इखलाक खलपुरिया :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबलपुर जिला स्थित उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केन्द्र, बारटा रेंज के चारों ओर चार-दीवारी का निर्माण 1.53 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है ;

(ख) क्या उक्त संस्थान के अतिरिक्त परिसर के लिए अलग-अलग चारदीवारी का निर्माण कराया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये चारदीवारी जगह-जगह से टूट गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कमजोर और घटिया चारदीवारी के निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारी का नाम क्या है ; और

(ङ) निर्माण कार्य में की गई अनियमितताओं के लिए गैर-जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1990 में उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर को आंवटित 300 हेक्टेयर के प्रयोगात्मक क्षेत्र के चारों ओर पत्थर से निर्मित 1.2 मीटर ऊंची चार दीवारी पर 1.5 मीटर ऊंची वेल वाली बाड़ सहित स्थाई एवं प्रभावी बाड़ लगाने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार 1,59,60,892 रुपए के अनुमान को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) और (ग) उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के मौजूदा 109 हेक्टेयर के परिसर, जिसके चारों ओर चार दीवारी का निर्माण वर्ष 1974-75 में के०लो०नि०वि० द्वारा किया गया था, को छोड़कर इस संस्थान के पास अन्य कोई परिसर नहीं है। इसमें सामान्य टूट-फूट होती रही है और वर्ष 1993-94 के दौरान इसकी मरम्मत के०लो०नि०वि० द्वारा की गई। इस दीवार के मरम्मत वाले भाग को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में क्रेशर मशीनों का बंद किया जाना

1096. **श्री जनार्दन यादव :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में चार हजार क्रेशर मशीनें बंद हो गई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन चार हजार क्रेशर मशीनों पर कार्य करने वाले बीस हजार मजदूर बेरोजगार हो गए हैं तथा भूखे मर रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने पत्थर उठाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है जिसके परिणामस्वरूप क्रेशर मशीनें बन्द हो गई हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि पत्थर जब पहाड़ों से उठाए जाते थे जिन पर वन-विभाग द्वारा लगाया एक भी वृक्ष नहीं है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं। सरकार ने राज्य में किसी भी क्रेशर यूनिट को बन्द करने के आदेश नहीं दिए हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।